D1R|23

रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 17—मई 23, 2008 (वैशाख 27, 1930)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17—MAY 23, 2008 (VAISAKHA 27, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 24th April 2008

No. NHB.HFC.DIR.23/CMD/2008.—

The National Housing Bank being satisfied that, in the public interest it is necessary so to do, hereby in exercise of the powers conferred on it by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall **with immediate effect**, be further amended in the following manner, namely:-

I. In chapter I, after sub-paragraph (m) of Paragraph 2 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 the following new sub-paragraph shall be inserted, namely;

"(ma) Innovative perpetual debt means hybrid debt issued in accordance with the terms and conditions stipulated in the Circular issued by National Housing Bank in this regard."

II. In chapter III, after item No. 2(d) of 'Explanations', to Paragraph 26 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001, the following shall be inserted as 2 (e) *; namely,*

"e) HFC's investments in innovative perpetual debt of other HFCs/banks/financial institutions" *100*

S. SRIDHAR
Chairman & Managing Director

राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 2008

सं. एनएचबी./एचएफसी./ निर्देश. 23/सीएमडी/2008--राष्ट्रीय आवास बैंक संतुष्ट है कि, सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है, कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बारे में कार्रवाई करने के लिए समर्थ करने वाली सभी शक्तियों के अन्तर्गत एतद्द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (राआबैंक) निर्देश, 2001 निम्नानुसार तुरंत प्रभाव से संशोधित किया जाता है, अर्थात् --

1. अध्याय I में--आवास वित्त कंपनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद 2 के उप-अनुच्छेद (एम) के बाद निम्नलिखित नया उप-अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

"(एमए) नवोन्मेष बेमियादी ऋण का अर्थ संमिश्रण है जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इस संबंध में जारी किए परिपत्र में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार दिया गया हो।"

II. अध्याय III में--आवास वित्त कंपनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद 26 के, 'व्याख्या' की मद सं. 2(डी) के बाद निम्नलिखित 2(ई) के रूप में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

''(ई) अन्य आवास वित्त कंपनियों/बैंकों/वित्तीय संस्थानों के नवोन्मेष बेमियादी ऋण में आवास वित्त कंपनियों का निवेश''

एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक